फा.सं. 44/44/2014-आरई

विद्युत मंत्रालय

भारत सरकार

श्रम शक्ति भवन, रफी मार्ग

नई दिल्ली, दिनांक 3 दिसंबर, 2014

कार्यालय ज्ञापन

विषय: "दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना" (डीडीयूजीजेवाई)।

निम्नलिखित घटकों सहित **"दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना"** (डीडीयूजीजेवाई) आरंभ करने/कार्यान्वयन हेतु राष्ट्रपति की संस्वीकृति सूचित की जाती है:

(i) ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि एवं गैर-कृषि उपभोक्ताओं के आपूर्ति की विवेकपूर्ण रोस्टरिंग को सुविधाजनक बनाने के लिए कृषि एवं गैर-कृषि फीडरों को पृथक करना;

(ii) ग्रामीण क्षेत्रों में, वितरण ट्रांसफार्मरों/फीडरों/उपभोक्ताओं की मीटरिंग सहित उप-पारेषण एवं वितरण अवसंरचना का सुदृढ़ीकरण और संवर्द्धन;

(iii) आरजीजीवीवाई के लिए अनुमोदित परिव्यय को अग्रेषित करके **12**वीं एवं **13**वीं योजनाओं के लिए आरजीजीवीवाई के अंतर्गत निर्धारित लक्ष्यों को पूरा करने के लिए, दिनांक **01.08.2013** के सीसीईए के अनुमोदन के अनुसार, ग्रामीण विद्युतीकरण।

2. उपर्युक्त योजना के **(i)** एवं **(ii)** के संघटकों के लिए स्कीम की अनुमानित परिव्यय **43033** करोड़ रुपये होगा जिसमें संपूर्ण कार्यान्वयन अवधि के लिए भारत सरकार से **33453** करोड़ रुपये की बजटीय सहायता शामिल है। ब्यौरा अनुबंध-□ में दिया गया है।

3. **12**वीं एवं **13**वीं योजनाओं में आरजीजीवीवाई को जारी रखने के लिए, सीसीईए द्वारा अनुमोदित आरजीजीवीवाई की स्कीम पृथक ग्रामीण विद्युतीकरण घटक [उपरोक्त घटक (□□□)] स्कीम में सम्मिलित कर दिए जाएंगे। जिसके लिए सीसीईए **39275** करोड़ रुपये की स्कीम लागत पहले ही अनुमोदित कर चुकी है। इससे **35447** करोड़ रुपये की बजटीय सहायता शामिल है। यह परिव्यय उपरोक्त पैरा **2** में उल्लिखित परिव्यय के अतिरिक्त डीडीयूजीजेवाई की नई योजना में अग्रेषित किया जाएगा।

4. कार्य-क्षेत्र

वितरण ट्रांसफार्मरों/फीडरों/उपभोक्ताओं की मीटरिंग तथा ग्रामीण विद्युतीकरण सहित योजना में फीडर पृथक्करण, उप-पारेषण एवं वितरण प्रणालियों के सुदृढ़ीकरण से संबंधित कार्य शामिल हैं। ब्यौरे **अनुबंध-II** पर दिए गए हैं।

5. पात्र यूटिलिटियां

निजी क्षेत्र की डिस्कॉम्स एवं राज्य विद्युत विभागों सहित सभी डिस्कॉम स्कीम के अंतर्गत वित्तीय सहायता की पात्र होंगी। निजी क्षेत्र डिस्कॉम के मामले में, जहां ग्रामीण क्षेत्रों में विद्युत आपूर्ति का वितरण उनके पास है, उनके अन्तर्गत परियोजनाएं राज्य सरकार एजेंसी के माध्यम से कार्यान्वित की जाएगी और स्कीम के अन्तर्गत सृजित की जाने वाली परिसंपत्तियों पर राज्य सरकार/राज्य के स्वयं के स्वामित्ववाली कंपनियों का स्वामित्व होगा। ये परिसंपत्तियां लाइसेंस अवधि के दौरान संबंधित डिस्कॉम को परस्पर रूप से सहमत निबंधन एवं शर्तों पर उनके प्रयोग के लिए सौंपी जाएंगी। इन परिसंपत्तियों का प्रचालन एवं अनुरक्षण का दायित्व संबंधित डिस्कॉम का होगा।

6. डीपीआर तैयार करना एवं परियोजना मूल्यांकन तंत्र

डिस्कॉम विशिष्ट नेटवर्क आवश्यकताओं पर विचार करते हुए ग्रामीण अवसंरचनात्मक कार्यों के सुदृढ़ीकरण की प्राथमिकताएं देंगे और स्कीम के अन्तर्गत शामिल करने के लिए परियोजनाओं की बैंक स्तरीय विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डीपीआर) तैयार करेंगे। नोडल एजेंसी को प्रस्तुत करने से पहले डीपीआर मुख्य सचिव की अध्यक्षता में समिति का कार्यक्षेत्र दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना को शामिल करने के लिए विस्तारित किया जाएगा। आरजीजीवीवाई कार्यक्रम के लिए गठित मौजूदा राज्यस्तरीय स्थायी समिति (एसएलएससी,) द्वारा संस्तुत की जाएगी। एसएलएससी यह सुनिश्चित करेगी कि नोडल एजेंसी को परियोजनाएं संस्तुत करते समय कार्यों का कहीं कोई दोहराव नहीं हुआ है। रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कारपोरेशन (आरईसी) स्कीम के प्रचालन की नोडल एजेंसी रहेगी। नोडल एजेंसी को कुल परियोजना लागत का **0.5%** उनके शुल्क के रूप में दिया जाएगा। नोडल एजेंसी द्वारा परियोजनाओं का मूल्यांकन किया जाएगा और सचिव (विद्युत), विद्युत मंत्रालय, भारत सरकार की अध्यक्षता वाली निगरानी समिति के अनुमोदन के लिए इनको विधिवत रूप से संस्तुत किया जाएगा।

7. निगरानी समिति

सचिव (विद्युत) की अध्यक्षतावाली निगरानी समिति द्वारा परियोजनाओं को अनुमोदन के लिए प्रस्तुत किया जाएगा। समिति में विद्युत मंत्रालय, वित्त मंत्रालय, ग्रामीण विकास मंत्रालय, कृषि मंत्रालय, नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय, केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण (सीईए) तथा योजना आयोग के प्रतिनिधि शामिल होंगे। आरईसी के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक, समिति के सदस्य सचिव और संयोजक होंगे। समिति को सीसीईए द्वारा दिए गए समग्र अनुमोदन के अंतर्गत, स्कीम के कार्यान्वयन के लिए नोडल एजेंसी द्वारा तैयार किए जाने वाले प्रचालन दिशा-निर्देशों को

अनुमोदित करने और इन दिशा-निर्देशों **(अनुबंध-II** में कार्य के क्षेत्र सहित**)** में समय-समय पर संशोधन करने का अधिकार प्राप्त होगा। समिति स्कीम के कार्यान्वयन का निगरानी भी करेगी।

8. त्रिपक्षीय/द्विपक्षीय करार

स्कीम का कार्यान्वयन स्कीम के अन्तर्गत निर्धारित दिशा-निर्देशों के अनुरूप सुनिश्चित करने के लिए विद्युत मंत्रालय की ओर से नोडल एजेंसी के रूप में आरईसी, राज्य सरकार और डिस्कॉम के बीच उपयुक्त त्रिपक्षीय करार निष्पादित किया जाएगा। राज्य विद्युत विभागों के मामले में द्विपक्षीय करार निष्पादित किया जाएगा।

9. परियोजना निगरानी एजेंसी (पीएमए)

परियोजना की निगरानी करने के लिए और इसका समयबद्ध कार्यान्वयन सुनिश्चित करने के लिए यूटिलिटी द्वारा उपयुक्त परियोजना निगरानी समिति **(**पीएमए**)** नियुक्त की जाएगी। स्कीम के प्रावधान के अनुसार परियोजना निगरानी एजेंसी **(**पीएमए**)** पर किए गए व्यय के लिए भारत सरकार द्वारा **100%** अनुदान प्रदान किया जाएगा **(**कार्य की लागत का **0.5%)**।

10. निष्पादन अवधि

स्कीम के अन्तर्गत परियोजनाएं यूटिलिटी द्वारा अवार्ड-पत्र **(**एलओए**)** जारी करने की तिथि से **24** माह की अवधि के भीतर पूरी की जाएंगी। डिस्कॉम/विद्युत विभागों द्वारा उनके नियंत्रण से बाहर की स्थिति में, परियोजना को निर्धारित समय अवधि के भीतर, पूरा न कर पाने के मामले में, निगरानी समिति असाधारण मामलों में, मामला-दर-मामला आधार पर, गुणावगुणों के आधार पर समय-विस्तार देने के लिए अधिकृत होगी।

11. विद्युत मंत्रालय के सहायक/समर्थ कार्यकलाप

स्कीम के कार्यान्वयन से संबंधित विद्युत मंत्रालय के सहायक/समर्थ कार्यकलाप जैसे-क्षमता निर्माण, जागरुकता पैदा करना, निगरानी, क्षेत्र निरीक्षण, मूल्यांकन, अध्ययन, प्रशिक्षण इत्यादि के लिए कुल परियोजना लागत के **0.5%** का प्रावधान रखा गया है।

12. वित्तपोषण पद्धति

वित्तपोषण तंत्र इस प्रकार प्रस्तावित है:

एजेंसी	सहायता का स्वरूप	सहायता की मात्रा (परियोजना लागत का प्रतिशत)	
		विशेष श्रेणी के राज्यों से इतर	विशेष श्रेणी राज्य #
भारत सरकार	अनुदान	60	85
डिस्कॉम अंशदान*	खुद का वित्त	10	5
ऋणदाता (वित्तीय संस्थान/बैंक)	ऋण	30	10
विनिर्दिष्ट उपलब्धियां प्राप्त करने पर भारत सरकार से अतिरिक्त अनुदान	अनुदान	कुल ऋण घटक (30%) का 50% अर्थात् 15%	कुल ऋण घटक (10%) का 50% अर्थात् 5%
भारत सरकार द्वारा अधिकतम अनुदान (विनिर्दिष्ट उपलब्धियां प्राप्त करने पर अतिरिक्त अनुदान सहित)	अनुदान	75%	90%

 # विशेष श्रेणी के राज्य (सिक्किम, जम्मू एवं कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखण्ड सहित सभी पूर्वोत्तर राज्य)

* डिस्कॉम्स का न्यूनतम अंशदान **10%** (विशेष श्रेणी के राज्यों के मामले में **5%)** है। तथापि, यदि डिस्कॉम्स ऋण नहीं लेना चाहती है तो उनका अंशदान **40%** तक हो सकता है। डिस्कॉम्स द्वारा ऋण न लेने के मामले में, अधिकतम पात्र अतिरिक्त अनुदान विनिर्दिष्ट उपलब्धियां प्राप्त करने पर **15%** (विशेष श्रेणी के राज्यों के मामले में **5%)** होगा। ऋण घटक आरईसी अथवा अन्य वित्तीय संस्थानों/बैंकों द्वारा दिया जाएगा।

टिप्पणी: भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क (एनओएफएन) के छूटे हुए संपर्कों को मिलाने, ग्रामीण विद्युतीकरण निगम एवं परियोजना निगरानी परामर्शदाता (पीएमसी) में ग्रामीण विद्युतीकरण आंकड़ा केन्द्र सृजित करने के कार्यकलापों पर हुए व्यय पर स्कीम के प्रावधानों के अनुसार **100%** अनुदान दिया जाएगा।

13. भारत सरकार द्वारा निधियां जारी करना:

निम्नलिखित लक्ष्य प्राप्त करने पर भारत सरकार द्वारा अनुदान सहायता दिए जाने का प्रस्ताव है:

ट्रैंच संख्या	भारत सरकार द्वारा अनुदान सहायता जारी करने की शर्तें	भारत सरकार द्वारा अनुदान घटक जारी करना
1	**(i)** निगरानी समिति द्वारा परियोजनाओं का अनुमोदन **(ii)** विद्युत मंत्रालय की ओर से डिस्कॉम्स, राज्य सरकार एवं नोडल एजेंसी के बीच द्विपक्षीय/त्रिपक्षीय करार.	**10%**
2	यूटिलिटी द्वारा अवार्ड पत्र (एलओए) देना	**20%**
3	भारत सरकार द्वारा जारी अनुदान के **90%** का (प्रथम एवं द्वितीय ट्रैंच) उपयोग और जारी डिस्कॉम का **100%** अंशदान जारी करना	**60%**
4	कार्य पूरा होने के पश्चात्	**10%**

14. अतिरिक्त अनुदान जारी किए जाने के लक्ष्य (ऋण घटक का 50% अर्थात् विशेष श्रेणी के राज्यों के लिए 5% तथा अन्य राज्यों के लिए 15%)

स्कीम के अन्तर्गत अतिरिक्त अनुदान (अर्थात् **50%** ऋण घटक का परिवर्तन) निम्नलिखित लक्ष्यों को प्राप्त करने के अध्ययीन जारी किया जाएगा:

(क) स्कीम को निर्धारित किए गए लक्ष्यों के अनुसार समय पर पूरा करना
(ख) विद्युत मंत्रालय द्वारा राज्य सरकारों (डिस्कॉम-वार) के परामर्श से अंतिम रूप से तैयार की गई ट्रेजेक्ट्री के अनुसार एटीएण्डसी हानियों में कमी
(ग) मीटरीकृत खपत के आधार पर राज्य सरकार द्वारा स्वीकार्य राजस्व सब्सिडी को अग्रिम रूप से जारी किया जाना

15. स्कीम के ग्रामीण विद्युतीकरण घटक का कार्यान्वयन

स्कीम के इस घटक के अन्तर्गत चल रही सभी परियोजनाएं सीसीईए के दिनांक **01.08.2013** के अनुमोदन के अनुसार कार्यान्वित की जाएंगी तथा आरजीजीवीवाई के अन्तर्गत की गई प्रतिबद्धताएं/निर्धारित लक्ष्य आरजीजीवीवाई के अनुमोदित परिव्यय को डीडीयूजीजेवाई में अग्रेषित करके पूरे किए जाएंगे। सीसीईए का अनुमोदन प्रेषित करते हुए विद्युत मंत्रालय द्वारा जारी कार्यालय ज्ञापन **अनुबंध-**□□□ पर संलग्न है।

16. उपर्युक्त स्कीम पर होने वाला व्यय वर्ष **2014-15** के लिए विद्युत मंत्रालय की अनुमोदित बजट अनुदान सं. **2801.05.800.06.00.35** और बाद के वर्षों के लिए संगत बजट शीर्ष के नाम में डाला जाएगा।

17. इस स्वीकृति के **अनुबंध-॥** में सूचीबद्ध कार्यों मदों का विस्तार आर-एपीडीआरपी/आरजीजीवीवाई/एनईएफ आदि जैसे भारत सरकार के किसी अन्य कार्यक्रम में शामिल नहीं हुई। प्रस्तावित कार्यों के विस्तार के लिए पात्र होगी। वे परियोजनाए जो भारत सरकार कोई अन्य अनुदान/सब्सिडी पहले ही प्राप्त कर चुकी है। प्राप्त करने के लिए प्रस्तावित हैं, इस स्कीम के

अंतर्गत पात्र नहीं होगी। मुख्य सचिव की अध्यक्षता में राज्य स्तरीय स्थाई समिति (एसएलएससी) यह सुनिश्चित करेगी कि नोडल एजेंसी को परियोजनाओं की सिफारिश करते समय कार्यों का दोहरापन नहीं है।

18. नोडल एजेंसी विद्युत मंत्रालय और सीईए को वास्तविक और वित्तीय प्रगति दर्शाते हुए स्कीम के कार्यान्वयन के संबंध में मासिक रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा।

19. स्कीम के कार्यान्वयन के लिए विस्तृत दिशा-निर्देश पृथक रूप से जारी किए जाएंगे।

20. यह वित्तीय स्कंध की दिनांक **01.12.2014** की डायरी संख्या **190/**वित्त**/14** की सहमति से जारी किया जाता है।

(बी.एन.शर्मा)
संयुक्त सचिव, भारत सरकार

प्रति:

1. सभी राज्यों के मुख्य सचिव
2. सभी राज्यों के सचिव (विद्युत/ऊर्जा)
3. सभी राज्य यूटिलिटियों के अध्यक्ष
4. अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक, आरईसी, स्कॉप काम्प्लैक्स, नई दिल्ली
5. मंत्रिमंडल सचिवालय
6. प्रधान मंत्री कार्यालय
7. लेखा नियंत्रक, विद्युत मंत्रालय
8. लेखा नियंत्रक, वेतन एवं लेखा कार्यालय
9. लेखा प्रधान निदेशालय, आर्थिक एवं सेवा मंत्रालय, आई.पी. इस्टेट, नई दिल्ली
10. सचिव, योजना आयोग, नई दिल्ली
11. सचिव, व्यय विभाग, वित्त मंत्रालय, नई दिल्ली
12. अध्यक्ष, केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण, सेवा भवन, आर.के. पुरम, नई दिल्ली

प्रतिलिपि :

सचिव के प्रधान निजी सचिव/एसएस(आरएनसी) के प्रधान निजी सचिव/जेएस(आरई) के निजी सचिव/ जेएस एंव एफए के प्रधान सचिव, विद्युत मंत्रालय

लागत अनुमान

(ग्रामीण विद्युतीकरण घटक को छोड़कर)

(रुपये करोड़ में)

क्र.सं.	प्रस्तावित कार्य	राशि
क	भारत सरकार द्वारा आंशिक वित्त पोषण के लिए प्रस्तावित कार्यों की मद	
1	फीडर पृथक्ककरण/नए फीडर (16500 फीडर तथा संबद्ध कार्य)	24,750
2	33 केवी/66 केवी लाइन (21900 सीकेएम)	1,515
3	उपकेंद्र कार्य - 33 *केवी या* 66 *केवी* (1620 *नए उपकेंद्र*, 1615 *मौजूदा उपकेंद्रों का संवर्द्धन*)	4,045
4	*एलटी अवसंरचना कार्य (बेयर कंडक्टर, ऐरियल बंच्ड केबल तथा वितरण ट्रांसफार्मरों सहित एलटी लाइन*)	5,350
5	*फीडर, वितरण ट्रांसफार्मरों और ग्राहक तक मीटरिंग*	6,450
	उप-योग (*क*)	42,110
ख	*भारत सरकार द्वारा* 100 % *वित्त पोषण के लिए प्रस्तावित कार्यों की मद*	
7	*ऑप्टिक फाईबर को मिसिंग लिंक स्थापित करना* (*नेशनल ऑप्टिक फाईबर नेटवर्क - एन ओ एफ एन के अंतर्गत उपकेंद्रों तक*)	280
8	ग्रामीण विद्युतीकरण निगम में ग्रामीण विद्युतीकरण डाटा हब का सृजन	10
9	परियोजना निगरानी एजेंसी (पीएमए) @ कार्यों की कुल लागत का 0.5 % (क का 0.5%)	211
	उप-योग (*ख*)	501
	कुल परियोजना लागत (*क+ख*)	42,611
ग	नोडल एजेंसी के लिए फीस तथा विद्युत मंत्रालय के लिए सक्षम कार्यकलापों हेतु प्रावधान	
10	कार्यों की कुल लागत के 0.50 % की दर से आरईसी फीस (क)	211
11	कार्यों की कुल लागत के 0.50 % की दर से सक्षम कार्यकलापों हेतु विद्युत मंत्रालय के लिए प्रावधान (क)	211
	उप-योग (*ग*)	422
	कुल-योग (*क+ख+ग*)	43033

जीबीएस आवश्यकता के लिए अनुमान (ग्रामीण विद्युतीकरण घटक को छोड़कर)

(रूपए करोड़ में)

क्र.सं.	विवरण	विशेष श्रेणी राज्यों को छोड़कर	विशेष श्रेणी राज्य	योग
1	भारत सरकार द्वारा आंशिक वित्त पोषण के लिए प्रस्तावित कार्यों की कुल लागत	35793.50	6316.50	42110.00
2	भारत सरकार द्वारा अनुदान के रूप में दिए जाने के लिए प्रस्तावित परियोजना लागत का प्रतिशत (समय पर पूरा करने के लिए अतिरिक्त अनुदान सहित)	75%	90%	-
3	भारत सरकार द्वारा आंशिक वित्त पोषण के लिए प्रस्तावित कार्यों हेतु अनुदान घटक	26845.13	5684.85	32529.98
4	भारत सरकार द्वारा 100% वित्त पोषण के लिए प्रस्तावित कार्यों की कुल लागत	501.00		501.00
5	नोडल एजेंसी की फीस तथा विद्युत मंत्रालय के लिए सक्षम कार्यों हेतु प्रावधान	422.00		422.00
	कुल जीबीएस आवश्यकता (3+4+5)	-		33452.98 अर्थात् 33453

बजटीय सहायता की वर्षवार फेजिंग

(ग्रामीण विद्युतीकरण घटक को छोड़कर)

(रूपए करोड़ में)

वर्ष	अनुदान
2014-15	500
2015-16	3500
2016-17	6500
उप-योग (12 वीं योजना)	10500
2017-18	8500
2018-19	7500
2019-20	2500
2020-21	2000
2021-22	2453
उप-योग (13 वीं योजना)	22953
कुल योग	33453

कार्यों का विस्तार

1. फीडर पृथक्करण

(i) कृषि संबंधी और गैर कृषि संबंधी उपभोक्ताओं के लिए एचटी फीडर का भौतिक विभाजन

(क) नई फीडर के रेखांकन और मौजूदा लाइनों के पुनःअनुकूलन/पुनःरेखांकन के लिए एचटी लाइनों का निर्माण।

(ख) नये वितरण ट्रांसफामरों की स्थापना और मौजूदा वितरण ट्रांसफार्मरों का संवर्द्धन

(ग) उपभोक्ताओं (कृषि संबंधी और गैर कृषि संबंधी) की पुनःसमूहीकरण के लिए वितरण ट्रांसफार्मरों और संबद्ध एलटी लाइनों का स्थानांतरण

(ii) फीडरों का यथार्थ विभाजन

(क) नए वितरण ट्रांसफार्मरों की स्थापना और मौजूदा वितरण ट्रांसफार्मरों का संवर्द्धन

(ख) (कृषि संबंधी और गैर कृषि संबंधी) उपभोक्ताओं के पुनःसमूहीकरण के लिए वितरण ट्रांसफार्मरों और संबद्ध एलटी लाइनों का स्थानांतरण

(ग) उप-केन्द्रों पर रोटरी स्विच और संबद्ध हार्डवेयरों की स्थापना

राज्य डिस्कामों/विद्युत विभागों द्वारा पहले से ही अलग कर दिए गए फीडर योजना के अन्तर्गत शामिल नहीं होंगे। तथापि, वास्तविक माध्यम से अलग किए गए फीडरों पर योजना में भौतिक विभाजन के लिए विचार किया जा सकता है।

2. ग्रामीण क्षेत्रों में मुश्किल अंतर को दूर करने के लिए उप-पारेषण और वितरण को मजबूत करना

निम्नलिखित कार्य उप-केन्द्रों और वितरण नेटवर्क में सभी संबंधित पैरामीटरों (जैसे वोल्टेज नियमन, एचटी एण्ड एलटी अनुपात ट्रांसफार्मरों और लाइनों का अनुकूलतम भार रिएक्टिव पावर मैनेजमेन्ट पावर फैक्टर इम्प्रूवमेन्ट, निष्पादन का स्तर, अन्य योजनाओं के अधीन जारी कार्य आदि) को ध्यान में रखते हुए मुश्किल अंतर को चिन्हित करने के लिए संबंधित राज्य डिस्काम/विद्युत विभाग द्वारा किए गए अध्ययन/आकलन के आधार पर योजना मे शामिल किए जाएंगे।

(i) **66** केवी/**33**केवी/**22**केवी/**11**केवी लाइनों के साथ संबद्ध नए उप-केन्द्र बनाना

(ii) संबद्ध उपकरण/स्विचगियर आदि के साथ उच्चतर क्षमता/अतिरिक्त विद्युत ट्रांसफार्मर के संस्थापन द्वारा मौजूदा उप-केन्द्रों की क्षमता का संवर्द्धन

(iii) मौजूदा लाइनों के संवर्द्धन के साथ पुनःअनुकूलन/पुनःरेखांकन के लिए एचटीलाइनों की स्थापना

(iv) नए वितरण ट्रांसफार्मरों की संस्थापना और संबद्ध एलटी लाइनों के साथ मौजूदा वितरण ट्रांसफार्मरों का संवर्द्धन

(v) कैपेसिटरों की संस्थापना

(vi) मौजूदा उप-केन्द्रों और लाइनों का नवीकरण और आधुनिकीकरण

(vii) हाई वोल्टेज वितरण प्रणाली (एचवीडीएस)

(viii) चोरी संभावित क्षेत्रों के लिए एरियल बंच्ड केबल

3. मीटरिंग

(i) फीडरों, ट्रांसफार्मरों और मौजूदा गैर मीटरीकृत कनेक्शनों के लिए सभी श्रेणी उपभोक्ताओं के लिए उपयुक्त स्टेटिक मीटरों का संस्थापन, खराब मीटरों और इलेक्ट्रो मैकेनिकल मीटरों को बदलना

(ii) संबद्ध केबल और सहायक सामग्री सहित उपभोक्ताओं की पहुंच के बाहर मीटरों के स्थानांतरण के लिए पिलर बॉक्स का संस्थापन

4. 12वीं और 13वीं योजना लागू दिशानिर्देशों में स्कीम को जारी रखने के लिए दिनांक 01.08.2013 को सीसीईए की स्वीकृति के अनुसार जारी आरजीजीवीवाई योजना के अनुसार ग्रामीण विद्युतीकरण घटक

5. नेशनल ऑप्टीकल फाइबर नेटवर्क (एनओएफटी) की स्थापना के अधीन सभी 33 केवी या 66 केवी ग्रिड उपकेन्द्रों को जोड़ने के लिए ऑप्टीकल फाइबर मिसिंग लिंक की पूर्णता

6. आरईसी में रूरल इलेक्ट्रीफिकेशन डाटा हब की सृजन

7. माइक्रोग्रिड और ऑफ ग्रिड वितरण नेटवर्क का प्रावधान

उपरोक्त कार्य योजना मे प्रदत्त और प्रस्तावित कार्य क्षेत्र के अधीन जो कि किन अन्य जीओआई कार्यक्रम जैसे आर-एपीडीआरपी/आरजीजीवीवाई/एनईएफ आदि के अन्तर्गत शामिल नहीं है, पात्र होंगे। परियोजनाएं जिनको पहले से ही भारत सरकार से अन्य अनुदान/सब्सिडी प्राप्त/प्रस्तावित है इस योजना के अन्तर्गत पात्र नहीं होंगे। प्रमुख सचिव की अध्यक्षता में राज्य स्थाई समिति (एसएलएससी) सुनिश्चित करेगी कि नोडल एजेंसी को परियोजना अनुशंसित करते समय कार्यों का दोहराव नहीं हो रहा है।

<u>योजना के अन्तर्गत शामिल न की जाने वाली मदों की सूची</u>

1. भारत सरकार की अन्य योजनाओं में पहले से ही शामिल कार्य
2. उपभोक्ताओं को सर्विस लाइन (ग्रामीण विद्युतीकरण अवयवों को छोड़कर)
3. भूमिगत केबल कार्य
4. उप-केन्द्रों के लिए भूमि की लागत
5. उप-केन्द्रों के अलावा निर्माण कार्य
6. सही दिशा में मुआवजा
7. वितरण, स्वचलन और आईटी आवेदन
8. कार्यालय उपकरण/फिक्सर्स
9. स्पेयर्स (उत्पादनकर्ता द्वारा निर्धारित अनिवार्य स्पेयर्स के अतिरिक्त)
10. टूल एण्ड प्लांट्स (टीएण्डपी)
11. वाहन
12. एएमआर/एएमआई प्रीपेड मीटर्स और स्मार्ट मीटर्स
13. वेतन और स्थापना व्यय

फा.सं. 44/10/2011-आरई
विद्युत मंत्रालय
भारत सरकार

श्रम शक्ति भवन, रफी मार्ग, नई दिल्ली
दिनांक **2** सितंबर, **2013**

कार्यालय ज्ञापन

विषयः 12वीं और 13वीं योजना में राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना (आरजीजीवीवाई) को जारी रखा जाना- ग्रामीण विद्युत अवसंरचना और घरों के विद्युतीकरण की स्कीम।

दिनांक **18** मार्च, **2005** के कार्यालय ज्ञापन संख्या **44/19/2004-**डी(आरई) और दिनांक **6.2.2008** के आदेश संख्या **44/37/07-**डी आरई के क्रम में, **12**वीं और **13**वीं योजना में राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना **(**आरजीजीवीवाई**)-** ग्रामीण विद्युत अवसंरचना और घरों के विद्युतीकरण की स्कीम**"** को जारी रखने के लिए निम्नलिखित हेतु राष्ट्रपति की मंजूरी दी जाती हैः

(i) **10**वीं और **11**वीं योजना में मंजूर परियोजनाओं के स्पिलओवर कार्यों को पूरा करना।
(ii) **100** से अधिक की जनसंख्या वाले सभी शेष गांवों और आवासों को शामिल करने के लिए स्कीम को जारी रखना।
(iii) **100** से अधिक की जनसंख्या वाले गांवों और आवासों में **3000** रूपए प्रति कनेक्शन की दर पर बीपीएल घरों को निःशुल्क बिजली के कनेक्शन उपलब्ध करवाना।
(iv) ऐसे क्षेत्रों, जहाँ बिजली की आपूर्ति एक दिन में **6** घंटे से कम है, में विद्युत की उपलब्धता के समर्थन हेतु ग्रिड से संबंधित क्षेत्रों तक डीडीजी को बढ़ाना।

2. **35,447** करोड़ रूपए की कुल पूंजी सब्सिडी के लिए अनुमोदन प्रदान किया गया हे। जिसमें से **23,397** करोड़ रूपए की पूर्ति **12**वीं योजना के लिए जीबीएस के माध्यम से की जाएगी और शेष **12,050** करोड़ रूपए की पूर्ति **13**वीं योजना में की जाएगी, इसका ब्यौरा **अनुबंध-I** में संलग्न है।

3. ग्रामीण विद्युतीकरण निगम **(**आरईसी**)** स्कीम के लिए नोडल एजेंसी ही रहेगी।

4. राज्य के और स्थानीय करों की राशि जो कि संबंधित राज्य/राज्य यूटिलिटी द्वारा वहन की जाएगी, को छोड़कर स्कीम के अंतर्गत परियोजनाओं की समग्र लागत के लिए **90%** पूंजी सब्सिडी प्रदान की जाएगी। परियोजना लागत के **10%** भाग का योगदान राज्यों द्वारा वित्तीय संस्थानों से उनके स्वयं के संसाधनों/ऋण के माध्यम से किया जाएगा।

5. पूर्व प्रतिबद्धता विद्युत अधिनियम, **2003** के अंतर्गत की गई अपेक्षानुसार सब्सिडीकृत प्रशुल्क पर विद्युत की आपूर्ति द्वारा इस संदर्भ में किसी कमी को पूरा करने के आश्वासन के साथ

आरजीजीवीवाई नेटवर्क में कम से कम **6** से **8** घण्टे तक की दैनिक विद्युत आपूर्ति के लिए संबंधित राज्य सरकार द्वारा की जानी है।

6. स्कीम का स्कोप

6.1 10वीं और 11वीं योजना के स्पिलओवर कार्य

10वीं और **11**वीं योजना में मंजूर परियोजनाओं के स्पिलओवर कार्य, जब तक कि अन्यथा विनिर्दिष्ट न किया जाए तब तक क्रमशः **10**वीं और **11**वीं योजना के लिए लागू दिशा-निर्देशों के अनुसार पूरे किए जाएंगे। डीडीजी परियोजनाओं सहित **10**वीं और **11**वीं योजना के दौरान मंजूर की गई परियोजनाओं का राज्यवार ब्यौरा **अनुबंध-II** में संलग्न है। स्पिलओवर कार्यों के लिए पूंजी सब्सिडी की कुल मांग **12,849** करोड़ रूपए है जैसा कि **अनुबंध-III** में ब्यौरा दिया गया है।

6.2 100 से अधिक की जनसंख्या वाले शेष गांवों और आवासों को शामिल करना

10वीं और **11**वीं योजना परियोजनाओं में आरजीजीवीवाई के अंतर्गत शामिल न किए गए गांव और आवास **12**वीं योजना में विचार हेतु पात्र होंगे। इनके अलावा, **10**वीं और **11**वीं योजना में शामिल गांव और आवास केवल शेष बीपीएल घरों को शामिल करने के उद्देश्य से **12**वीं योजना में शामिल किए जाने हेतु पात्र भी होंगे जैसाकि नीचे दिए गए उप पैरा **6.3 (ii)** में स्पष्ट किया गया है।

6.3 गरीबी रेखा से नीचे जीवनयापन करने वाले (बीपीएल) घरों को निःशुल्क बिजली के कनेक्शन

(i) **100** से अधिक की जनसंख्या वाले गांवों और आवासों में बीपीएल घरों को **3000** रूपए प्रति कनेक्शन की दर पर एलईडी लैम्प वाले निशुल्क बिजली के कनेक्शन प्रदान किए जाएंगे।

(ii) बीपीएल घरों को निःशुल्क बिजली के कनेक्शन उपलब्ध अवसंरचना (या तो पहले से ही उपलब्ध या आरजीजीवीवाई के अंतर्गत उपलब्ध करवाई गई) से **10**वीं और **11**वीं योजना की मंजूर परियोजनाओं में पहले से ही शामिल किए गए गांवों और आवासों में भी उपलब्ध करवाए जाएंगे और **3000** रूपए प्रति कनेक्शन की दर पर कनेक्शन उपलब्ध करवाने की लागत की प्रतिपूर्ति संबंधित कार्यान्वयन एजेंसी को की जाएगी। केवल **10%** बीपीएल घरों के साथ **10**वीं योजना परियोजनाओं में शामिल मुख्य रूप से बिहार और उत्तर प्रदेश के लगभग **17000** गांवों के सिवाय उन बीपीएल कनेक्शनों के कारण पहले से ही शामिल किए गए गांवों में अवसंरचना के विकास एवं सुदृढ़ीकरण के लिए कोई निधि

उपलब्ध नहीं करवाई जाएगी। अवसंरचना के उन्नयन एवं सुदृढ़ीकरण के लिए कोई अपेक्षित परिव्यय संबंधित राज्य सरकार या यूटिलिटी द्वारा वहन किया जाएगा।

(iii) गरीबी रेखा से ऊपर के घरों को निर्धारित कनेक्शन शुल्कों पर अपने कनेक्शन शुल्कों के लिए भुगतान करना होगा और इस उद्देश्य हेतु इस स्कीम से कोई सब्सिडी नहीं दी जाएगी।

(iv) जहां कहीं भी अनुसूचित जाति/जनजाति की जनसंख्या बीपीएल घरों के मध्य मौजूद हैं और वे किसी अन्य तरीके से पात्र हैं वहाँ उन्हें निशुल्क कनेक्शन दिया जाएगा और इस कनेक्शन का अलग से एक रिकार्ड रखा जाएगा।

6.4 विकेंद्रीकृत वितरण-सह-उत्पादन

बायोमास, बायोईंधन, बायोगैस, लघु जल, भू-ताप तथा सौर आदि जैसे परम्परागत या नवीकरणीय या गैर-परम्परागत स्रोतों से विकेंद्रीकृत वितरण-सह-उत्पादन की परिकल्पना उन गांवों के लिए की गई हैं जहाँ ग्रिड संबद्धता या तो व्यवहार्य नहीं है अथवा लागत प्रभावी नहीं है। डीडीजी को एक दिन में **6** घंटे से कम की विद्युत आपूर्ति वाले क्षेत्रों में विद्युत की उपलब्धता के समर्थन के लिए ग्रिड से संबंधित क्षेत्रों तक भी बढ़ाया जा रहा है। डीडीजी परियोजनाओं के लिए सब्सिडी के रूप में **900** करोड़ रूपए को अलग रखा गया है। तथापि, डीडीजी के अंतर्गत आबंटन स्कीम की समग्र लागत के भीतर किसी अतिरिक्त मांग को पूरा करने के लिए लचीला होगा। डीडीजी परियोजनाओं पर विचार करते समय यह सुनिश्चित किया जाए कि ये एमएनआरई की स्कीमों के साथ अतिव्याप्त न हों।

7. कार्यान्वयन ढ़ाँचा

(i) आरईसी सामग्री/उपस्कर की तकनीकी विशिष्टाओं, निर्माण मानकों, विशिष्ट कोड वाले घरों को चिन्हित करने के लिए कोडीकरण स्कीम आदि सहित परियोजनाओं को तैयार करने के लिए विस्तृत दिशा-निर्देश और कार्यों के निष्पादन के लिए क्लस्टर आधारित दृष्टिकोण को शामिल करते हुए मानकबोली दस्तावेज सहित वस्तुओं और सेवाओं की प्राप्ति के लिए दिशा-निर्देश तैयार करेगा। आरईसी इन दिशानिर्देश को निगरानी समिति द्वारा अनुमोदित करवाएगा।

(ii) आरईसी सामग्री/उपस्कर और निर्माण की गुणवत्ता के संयुक्त मूल्यांकन के लिए उपयुक्त गुणवत्तापरक नियंत्रण मैनुअल के माध्यम से एक उपर्युक्त गुणवत्तापरक नियंत्रण तंत्र तैयार करेगा।

(iii) कार्यान्वयन एजेंसियों को केवल टर्नकी आधार पर परियोजनाओं के निष्पादन की अनिवार्य शर्त के बजाए निगरानी समिति के अनुमोदन के साथ अपवादस्वरूप मामलों में विभागीय रूप से परियोजनाओं का निष्पादन करने की अनुमति भी की जा सकती है। आरईसी केवल

परियोजना क्षेत्रों में सामग्री/उपस्कर के उचित उपयोग और परियोजना व्यय के उचित लेखे को सुनिश्चित करने के लिए इन मामलों में परियोजनाओं के विभागीय निष्पादन के लिए उपर्युक्त दिशा-निर्देश तैयार करेगा और इन्हें निगरानी समिति द्वारा अनुमोदित करवाएगा।

(iv) आरईसी स्कीम के अंतर्गत निर्धारित दिशानिर्देशों के अनुसार स्कीम के कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने के लिए विद्युत मंत्रालय, राज्य सरकार और कार्यान्वयन एजेंसी की ओर से आरईसी के मध्य निष्पादित किए जाने वाले एक उपर्युक्त त्रिपक्षीय (सीपीएसयू के कार्यान्वयन एजेंसी होने के मामले में चार पक्षीय) करार तैयार करेगा और इसे निगरानी समिति से अनुमोदित करवाएगा।

(v) प्रत्येक राज्य सरकार मुख्य सचिव की अध्यक्षता में एक राज्य स्तरीय स्थायी समिति का गठन करेगी और जिससे ऊर्जा, ग्रामीण विकास, वित्त, पंचायती राज, वन, राजस्व, मंत्रालयों के सचिव और आरईसी का एक प्रतिनिधि आदि भी होंगे। यह समिति स्कीम के अंतर्गत शामिल किए जाने वाले गांवों, आवासों, बीपीएल घरों की जिलावार सूची की जांच करेगी और दिशा-निर्देशों के अनुसार कार्यान्वयन एजेंसी द्वारा तैयार किए गए परियोजना प्रस्तावों की सिफारिश करेगी। राज्य समिति, अपनी सिफारिशों के लिए परियोजना प्रस्तावों पर विचार करते समय, प्रस्तावित वितरण नेटवर्क और परियोजना क्षेत्र की भार मांग को पूरा करने के लिए पर्याप्त विद्युत आपूर्ति की उपलब्धता के अनुरूप अपस्ट्रीम नेटवर्क की पर्याप्तता को सुनिश्चित करेगी। समिति प्रगति, गुणवत्तापरक नियंत्रण की निगरानी भी करेगी और मंजूर परियोजनाओं के कार्यान्वयन से संबंधित मामलों अर्थात सब स्टेशनों के लिए भूमि के आबंटन, मार्गाधिकार, वन स्वीकृति, रेलवे स्वीकृति, सुरक्षा स्वीकृति आदि को भी निपटाएगी।

(vi) राज्य सरकार राज्य के विभिन्न जिलों में स्कीम के कार्यान्वयन के लिए राज्य विद्युत यूटिलिटियों, डिस्काम और चिन्हित सीपीएसयू के मध्य कार्यान्वयन एजेंसियों को चिन्हित करेगी।

(vii) कार्यान्वयन एजेंसियाँ सबसे पहले **12**वीं योजना में शामिल किए जाने वाले पात्र गांवों और घरों की सूची को चिन्हित करेगी। इन चिन्हित गांवों और आवासों की सूची की जांच **10**वीं और **11**वीं योजना परियोजनाओं के रिकार्डों के आधार पर आरईसी द्वारा की जाएगी। आरईसी, पात्र गांवों और घरों की इस सूची की जाँच करते समय यह भी सुनिश्चित करेगा कि सभी घरों को एक अलग प्रकार के कोड के साथ चिन्हित किया जाए। कार्यान्वयन एजेंसी विस्तृत दिशानिर्देशों और तकनीकी विशिष्टताओं के अनुसार इस प्रकार चयनित एवं जाँच किए गए गांवों और आवासों में विद्युतीकरण कार्यों के लिए जिला-वार विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डीपीआर) तैयार करेगी और राज्य समिति द्वारा सिफारिश के लिए परियोजना प्रस्ताव प्रस्तुत करेगी। किसी वास्तविक मात्रा/अवसर तक पहुंचने और भविष्य में किसी लागत संशोधन से बचने के लिए वास्तविक क्षेत्रीय सर्वेक्षण और दरों की अद्यतन सूची के अनुसार विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार की जाएगी और विचार हेतु प्रस्तुत की जाएगी। मात्रा के परिवर्तन के आधार पर होने वाली किसी लागत वृद्धि, यदि कोई है, कि

जांच बाद में विद्युत मंत्रालय द्वारा नहीं की जाएगी और इसका वहन राज्य सरकार द्वारा किया जाएगा।

(viii) परियोजना कार्यान्वयन एजेंसियां जागरूकता के स्तर को बढ़ाने और परियोजना क्षेत्रों के जन प्रतिनिधियों की शिकायत के निपटारे के लिए जिला और परियोजना कार्यान्वयन एजेंसी के स्तर पर परियोजनाओं के कार्यान्वयन के लिए एक समर्पित टीम का सृजन करेगी। एजेंसी के शुल्कों का भुगतान परियोजनाओं के प्रबंधन के लिए कार्यान्वयन एजेंसियों द्वारा इन समर्पित टीमों की तैनाती के साथ होगा।

(ix) राज्य समिति द्वारा सिफारिश की गई परियोजनाएं तकनीकी-आर्थिक मूल्यांकन के लिए आरईसी के समक्ष प्रस्तुत की जाएंगी। आरईसी, इनका विस्तृत तकनीकी-आर्थिक मूल्यांकन करने के पश्चात, प्रशासनिक और वित्तीय मंजूरी के विचार के लिए निगरानी समिति के समक्ष अपनी सिफारिशें प्रस्तुत करेगा।

(x) बीपीएल घर और एपीएल घर के अनुसार भार क्रमशः **250** वाट और **500** वाट माना जाएगा।

(xi) कुछ आवासों को उनके आकार पर स्थान के कारण विद्यतीकृत करने हेतु ग्रिड को बढ़ाना आर्थिक रूप से व्यवहार्य और तकनीकी रूप से व्यवहार्य नहीं हो सकता है। इस प्रकार के आवासों को एमएनआरई की उपर्युक्त स्कीम का प्रयोग करते हुए विद्युतीकृत किया जा सकता है। राज्य स्तरीय समिति और निगरानी समिति परियोजना के अंतर्गत सभी आवासों को शामिल करते हुए इस पहलू की जाँच करेगी।

(xii) आरजीजीवीवाई स्कीम और एमएनआरई की स्कीमों के बीच किसी प्रकार की अतिव्याप्ति से बचने के लिए वित्त मंत्रालय के परामर्श से तथा निगरानी समिति के अनुमोदन के साथ एक उपर्युक्त तंत्र स्थापित किया जाएगा।

8. सेवा प्रभार/शुल्क

(i) राज्य यूटिलिटियों और केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों को योजना के कार्यान्वयन के लिए एजेंसी प्रभारों (इसमें सेवा कर आदि जैसे सभी कर शामिल हैं) के रूप में परियोजना लागत (बीपीएल घरों को कनेक्शन उपलब्ध कराने की लागत को छोड़कर) का प्रतिशत दिया जाएगा। इसमें फील्ड सर्वे, डीपीआर तैयार करना समर्पित जन शक्ति की तैनाती तथा गुणवत्ता नियंत्रण तंत्र के पहले टियर पर अनिवार्य तीसरे पक्ष निगरानी के संबंध में अतिरिक्त व्यय को पूरा करना भी शामिल है। एजेंसी प्रभारों को जारी करना विस्तृत सर्वेक्षण, समर्पित टीम की तैनाती आदि जैसी विशिष्ट शर्तों को पूरा करने से संबद्ध किया जाएगा।

(ii) रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कारपोरेशन लिमिटेड (आरईसी) को कार्यान्वयन हेतु ढांचा स्थापित करने, योजना से संबंधित व्यय को पूरा करने, अवार्ड देने से पहले और अवार्ड देने के पश्चात मूल्यांकन, योजना की अवधारणा से लेकर पूरा करने तक कार्यक्रम की निगरानी

और संपूर्ण पर्यवेक्षण तथा गुणवत्ता नियंत्रण तंत्र के दूसरे टियर (आरईसी क्वालिटी मॉनीटर्स) पर परियोजना की गुणवत्ता नियंत्रण के लिए फीस (इसमें सेवाकर आदि जैसे सभी कर शामिल हैं) के रूप में परियोजना लागत का **0.5%** दिया जाएगा। **10**वीं और **11**वीं योजना के आगे ले जाए गए कार्यों हेतु आरईसी फीस परियोजना लागत के एक प्रतिशत की दर से ही रहेगी।

(iii) विद्युत मंत्रालय द्वारा किए जाने वाले तीसरे टियर (राष्ट्रीय गुणवत्ता मानीटर्स) पर सहायकता/सक्षम कार्यकलापों तथा गुणवत्ता निगरानी के लिए भविष्य में संस्वीकृत की जाने वाली परियोजनाओं के लिए परियोजना लागत के **0.5%** का प्रावधान रखा जाएगा। सहायक कार्यकलाप क्षमता निर्माण, जागरूकता तथा अन्य प्रशासनिक और संबद्ध व्यय, फ्रेंचाइजी विकास तथा पायलट अध्ययन तथा ग्रामीण विद्युतीकरण योजना की पूरक परियोजनाओं के रूप में होंगे।

9. निगरानी समिति

सचिव (विद्युत) भारत सरकार की अध्यक्षता में विद्युत मंत्रालय एक निगरानी समिति गठित की जाएगी जिसमें व्यय विभाग, योजना आयोग, ग्रामीण विकास मंत्रालय, पंचायती राज मंत्रालय, नव एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय के प्रतिनिधि भी होंगे। यह समिति संबंधित राज्य स्तरीय स्थायी समिति और आरईसी की सिफारिशों के आधार पर संस्वीकृति हेतु परियोजनाओं के संबंध में विचार करेगी। समिति समय-समय पर दिशानिर्देश जारी करने/संशोधित करने के अतिरिक्त योजना के कार्यान्वयन की निगरानी भी करेगी। समिति को लागत मापदण्डों के बैंचमार्क की निगरानी भी करेगी। समिति को लागत मापदण्डों के बैंचमार्क की समीक्षा करने और संशोधित करने के अधिकार भी होंगे।

10. आरजीजीवीवाई परिसंपत्तियों का स्थायित्व

ग्रामीण वितरण के प्रबंधन के लिए फ्रेंचाइजी की तैनाती **10**वीं और **11**वीं योजना पहले से ही संस्वीकृत नई और चल रही परियोजनाओं के लिए अनिवार्य नहीं होगी तथापि राज्यों को यह उल्लेख करते हुए वैकल्पिक व्यवस्था करनी होगी कि सृजित परिसंपत्तियों का रख-रखाव और डिस्काम स्तर पर राजस्व का स्थायित्व सुनिश्चित करने के लिए उनके द्वारा अपनायी जाएगी। राज्यों को डिस्काम के जरिए डीपीआर प्रस्तुत करने के साथ आरजीजीवीवाई परियोजनाओं के अतर्गत सृजित परिसंपत्तियों के रखरखाव के बारे में विद्युत मंत्रालय जो एक वचनपत्र प्रस्तुत करना है।

11. केंद्रीय सरकारी क्षेत्र के उपक्रम (सीपीएसयू) ने ग्रामीण विद्युतीकरण परियोजनाओं के निष्पादन में राज्यों की इच्छा और आवश्यकता के अनुसार उनकी सहायता करने की पेशकश की

है। कार्यक्रम के लिए कार्यान्वयन क्षमताओं के संवर्धन की दृष्टि से आरईसी उनकी सेवाओं का उपयोग करने के लिए इच्छुक राज्यों को उपलब्ध परियोजना प्रबंधन विशेषज्ञता और क्षमताएं उपलब्ध कराने के लिए निगरानी समिति के अनुमोदन से विद्युत क्षेत्र में कार्यरत विभिन्न सीपीएसयू के साथ समझौता ज्ञापन करेगी। एक उपयुक्त त्रिपक्षीय/चतुर्पक्षीय करार के जरिए प्रचालनीकरण किया जाएगा।

12. उपरोक्त उल्लिखित शर्तों के अनुसार परियोजनाएं संतोषजनक ढंग से कार्यान्वित नहीं किए जाने की स्थिति में पूंजी सब्सिडी ब्याजयुक्त ऋणों अंतरित कर दी जाएगी।

13. उपरोक्त स्कीम पर होने वाला व्यय वर्ष **2013-14** और अनुवर्ती वर्षों के लिए विद्युत मंत्रालय की अनुमोदित बजट अनुदान सं.**76** के नामे डाला जाएगा।

14. यह वित्त स्कंध की दिनांक **19.8.2013** की डायरी संख्या **1017/**जेएसएंडएफए**/13** के अंतर्गत दी गई सहमति से जारी किया जाता है।

(बी.एन.शर्मा**)**
संयुक्त सचिव, भारत सरकार

प्रतिः**-**

1. सभी राज्यों के मुख्य सचिव
2. सभी राज्यों के सचिव **(**विद्युत/ऊर्जा**)**
3. सभी राज्य यूटिलिटियों के अध्यक्ष
4. अध्यक्ष एवं प्रबंधन निदेशक, आरईसी, नई दिल्ली।

12वीं और 13वीं योजना के लिए कैपिटल सब्सिडी का आकलन

क. **10**वीं योजना, **11**वीं योजना के लिए स्पिलओवर कार्य

1. डीडीजी परियोजनाओं सहित **10**वीं योजना, **11**वीं योजना के लिए कुल कैपिटल सब्सिडी की आवश्यकता **(**विस्तृत **अनुबंध-III** पर**)** — रु. **39000** करोड़

2. 31/03/2012 तक उपयोग की गई कैपिटल सब्सिडी — रु. **26151** करोड़

3. स्पिलओवर कार्यों के लिए आवश्यक कैपिटल सब्सिडी **(1-2)** — रु. **12849** करोड़

ख. नई परियोजनाओं के लिए

क्र.सं.	विशेष	यूनिट लागत (लाख रु. में)	कुल संख्या (लाख संख्या में)	कुल मूल्य (करोड़ रु. में)
1.	एक वासस्थल सहित विद्युतीकरण ग्रामों की आकलित लागत **(**अर्थात् **0.88x2=1.76** लाख गांव/वासस्थल**)**	**9.00**	**0.88**	**7920**
2.	**100** से अधिक जनसंख्या वाले विद्युतीकरण वासस्थलों की आकलित लागत	**9.00**	**0.77**	**6930**
3.	**2.73** करोड़ बीपीएल घरों को निःशुल्क कनेक्शन बांटने की आकलित लागत **3000** रु. परिवार की दर से	**0.03**	**273**	**8190**
4.	**12**वीं योजना में डीडीजी परियोजनाओं की लागत	**-**	**-**	**1000**
5.	**(1+2+4)** पर **0.5%** की दर से एजेंसी चार्ज बीपीएल लागत के अतिरिक्त			**792.50**
6.	कुल परियोजना लागत **(1+2+3+4+5)**			**24832.50**
7.	कुल परियोजना लागत का **0.5%** आरईसी शुल्क			**124.16**
8.	कुल परियोजना लागत का **0.5%** क्रियाकलाप स्थापित करने के लिए विद्युत मंत्रालय के लिए प्रावधान			**124.16**

9.	शामिल किए गए शेष ग्राम वासस्थल और बीपीएल परिवारों **(6+7+8)** की कुल लागत			**25080.83**
10.	सब्सिडी अनुपात	**90:10**		
11.	परियोजना के लिए आवश्यक लागत सब्सिडी **(**ऊपर से क्र.सं. **6** के लिए**)**			**22349.25**
12.	आरईसी शुल्क/विद्युत मंत्रालय क्रियाकलापों के लिए कैपिटल सब्सिडी			**248.33**
13.	आरईसी शुल्क तथा **12**वीं योजना परियोजनाओं **(11+12)** के लिए विद्युत मंत्रालय के लिए प्रावधान के साथ कुल आवश्यक सब्सिडी			**22597.58 (22598** कह सकते हैं**)**

ग. **12**वीं और **13**वीं योजना **(**क**+**ख**)** के लिए कैपिटल सब्सिडी की आवश्यकता रु.**35447** करोड़

घ. **12**वीं योजना के लिए जीबीएस के माध्यम से प्राप्त हुई कैपिटल सब्सिडी रु.**23397** करोड़

ङ. **13**वीं योजना **(**ग**-**घ**)** की स्पिलओवर की कैपिटल सब्सिडी रु.**12050** करोड़

11वीं और 12वीं योजना में संस्वीकृत परियोजनाएं (31/03/2012 की स्थिति के अनुसार)											
क्र.सं.	राज्य	परियोजनाओं की संख्या	जिलों की संख्या	कवरेज							संस्वीकृत परियोजना लागत (संशोधित) (करोड़ रु. में)
				गैर-विद्युतीकृत गाँव (यूईवी) (सं.)	आंशिक विद्युतीकृत गाँव (ईवी) (सं.)	कुल गाँव (सं.)	जनगणना गाँवों सहित 100 से अधिक जनसंख्या वाले वासस्थल (सं.)	जनगणना गाँवों को छोड़कर 100 से अधिक जनसंख्या वाले वासस्थल (सं.)	100 अथवा कम जनसंख्या वाले वासस्थल	बीपीएल घर (बीपीएल वासस्थल/ वासस्थल) (सं.)	
1	आंध्र प्रदेश	26	22	0	27477	27477	60508	33031	8942	2484665	896.52
2	अरुणाचल प्रदेश	16	16	2129	1780	3909	2251	-1658	211	40810	942.09
3	असम	23	23	8326	12984	21310	53520	32210	491	1150597	2762.76
4	बिहार	54	38	23847	19244	43091	68103	25012	0	5659338	7625.26
5	छत्तीसगढ़	18	16	1594	17375	18969	36795	17826	0	979834	1346.21
6	गुजरात	25	25	0	17667	17667	30835	13168	362	729955	352.02
7	हरियाणा	21	21	0	6610	6610	6813	203	7	273987	227.95
8	हिमाचल प्रदेश	12	12	95	10650	10745	14426	3681	6578	13196	342.03
9	जम्मू एवं कश्मीर	14	14	239	4442	4681	10946	6265	330	81217	926.88
10	झारखंड	22	22	19281	7223	26504	59282	32778	17153	1830722	3455.04
11	कर्नाटक	27	27	61	28504	28565	44646	16081	2887	982455	971.17
12	केरल	14	14	0	1273	1273	4079	2806	3	73453	237.58

13	मध्य प्रदेश	52	48	862	49897	50759	86492	35733	5740	1825176	2697.20
14	महाराष्ट्र	35	34	0	41981	41981	77575	35594	1328	1221854	843.57
15	मणिपुर	9	9	882	1378	2260	2045	-215	0	107369	381.83
16	मेघालय	7	7	1866	3239	5105	4470	-635	0	109696	441.99
17	मिजोरम	8	8	137	570	707	615	-92	39	27417	268.58
18	नागालैंड	11	11	105	1140	1245	1376	131	9	69899	264.35
19	ओडिशा	32	30	14747	29320	44067	69374	25307	4281	3056580	3782.51
20	पंजाब	17	17	0	11840	11840	12728	888	0	148860	186.91
21	राजस्थान	40	33	4350	34845	39195	61592	22397	0	1289942	1333.92
22	सिक्किम	4	4	25	418	443	1651	1208	22	11458	196.54
23	तमिलनाडु	29	29	0	10738	10738	76739	66001	0	527234	484.68
24	त्रिपुरा	4	4	148	658	806	5229	4423	176	107506	198.41
25	उत्तर प्रदेश	86	65	28136	22980	51116	112539	61423	0	1914309	7286.15
26	उत्तरांचल	13	13	1511	13820	15331	13155	-2176	25598	223067	766.43
27	प. बंगाल	29	17	4454	24311	28765	83722	54957	0	2628810	2841.86
योग		648	579	112795	402364	515159	1001506	486347	74157	27569406	42060.44

आरजीजीवीवाई परियोजना के अंतर्गत संस्वीकृत डीडीजी परियोजनाओं का विवरण (31/03/2012 की स्थिति के अनुसार)

क्र.सं.	राज्य	परियोजनाओं की संख्या	कवरेज			संस्वीकृत परियोजना लागत (करोड़ रु. में)
			गैर-विद्युतीकृत गाँव (सं.)	गैर-विद्युतीकृत वासस्थल (सं.)	बीपीएल परिवार (सं.)	
1	आंध्र प्रदेश	96	39	96	3500	26.55

2	बिहार	48	48	127	10143	37.85
3	छत्तीसगढ़	19	19	31	1440	10.53
4	मध्य प्रदेश	48	48	122	3367	28.83
5	उत्तर प्रदेश	62	38	65	4821	64.09
6	उत्तराखंड	1	2	5	225	2.74
7	प. बंगाल	9	39	0	23276	109.97
योग		283	233	446	46772	280.56

क. आगे ले जाए गए कार्य

मद	गैर-विद्युतीकृत गाँव (सं.)	आंशिक रूप से विद्युतीकृत गाँव (सं.)	बीपीएल घर (सं. लाख में)
कवरेज	**112795**	**402364**	**275.69**
प्रगति (31.03.2012 तक)	**104496**	**248553**	**194.25**
12वीं योजना में ले जाई गई मदें	**8299**	**153811**	**81.44**

ख. **10**वीं योजना, **11**वीं योजना और डीडीजी परियोजनाओं के आगे ले जाए गए कार्यों के लिए निधि आवश्यकता

1. कुल संस्वीकृत परियोजना लागत **42341** करोड़ रु.
   - **(i)** **10**वीं योजना परियोजनाओं की संस्वीकृत परियोजना लागत **13263.68** करोड़ रु.
   - **(ii)** **11**वीं योजना-चरण **I** परियोजनाओं की संस्वीकृत परियोजना लागत **20832.44** करोड़ रु.
   - **(iii)** **12**वीं योजना- चरण **II** परियोजनाओं की संस्वीकृत परियोजना लागत **7964.32** करोड़ रु.
   - **(iv)** डीडीजी परियोजनाओं की संस्वीकृत लागत **280.56** करोड़ रु.
2. कुल संस्वीकृत परियोजना लागत के **1%** पर परियोजना लागत में अतिरिक्त वृद्धि की संभावना है। **423.41** करोड़ रु.
3. कुल संभावित संशोधित परियोजना लागत **42764.41** करोड़ रु.
4. कुल संभावित संशोधित परियोजना लागत के **90%** पर शामिल कुल पूंजी सब्सिडी **38487.97** करोड़ रु.
5. परियोजना लागत के लिए पहले से जारी पूंजी सब्सिडी **25880.15** करोड़ रु.
6. राज्यों द्वारा दिया गया योगदान(आरईसी से लिए गए ऋण को छोड़कर)**=(5)*0.1/0.9** **2875.57** करोड़ रु.
7. स्पिलओवर की लागत**=(3)-(5)-(6)** **14008.69** करोड़ रु.
8. आरईसी शुल्क **366.09** करोड़ रु.
   - **(i)** **10**वीं योजना परियोजनाओं के लिए आरईसी शुल्क **72.41** करोड़ रु.
   - **(ii)** **11**वीं योजना परियोजनाओं की संभावित संशोधित परियोजना लागत के एक प्रतिशत पर **11**वीं योजना परियोजनाओं के लिए आरईसी शुल्क **290.85** करोड़ रु.
   - **(iii)** डीडीजी परियोजनाओं की संभावित संशोधित परियोजना लागत के एक प्रतिशत पर डीडीजी परियोजनाओं के लिए आरईसी शुल्क **2.83** करोड़ रु.
9. विद्युत मंत्रालय द्वारा पहले ही जारी किया जा चुका आरईसी शुल्क **226.37** करोड़ रु.
10. जारी किए जाने हेतु बकाया आरईसी शुल्क **=(8)-(9)** **139.72** करोड़ रु.

11. सक्षम कार्यों के लिए विद्युत मंत्रालय हेतु प्रावधान **(**कुल परियोजना लागत के एक प्रतिशत के प्रावधान में से**)** **90** करोड़ रु.

12. विद्युत मंत्रालय द्वारा उपयोग की गई राशि **44.25** करोड़ रु.

13. सक्षम कार्यों के लिए विद्युत मंत्रालय हेतु शेष प्रावधान**=(11)-(12)** **45.75** करोड़ रु.

14. आरईसी शुल्क और विद्युत मंत्रालय के सक्षम कार्यों सहित **10**वीं और **11**वीं योजना के स्पिलओवर कार्यों हेतु कुल लागत **14194.16** करोड़ रु.

अर्थात् **14194.00** करोड़ रु.

15. पूंजी सब्सिडी की कुल आवश्यकता**=(4)+(8)+(11)** **38944.06** करोड़ रु.

अर्थात्**39000.00** करोड़ रु.

16. 31.03.2012 तक उपयोग की गई पूंजी सब्सिडी **26151.00** करोड़ रु.

17. 10वीं योजना**, 11**वीं योजना और डीडीजी परियोजनाओं के स्पिलओवर कार्यों के लिए पूंजी सब्सिडी **12849.00** करोड़ रु.